संख्या- 21/2022/1408/तीस-4-2022-30-4099(099)/138/2022

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 02 सितम्बर, 2022

विषय प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए0टी0एस) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56(2) में अधिकृत परीक्षण स्टेशन का प्राविधान किया गया है। इस प्राविधानानुसार 'प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण प्रसुविधा (स्टेशन) सहित किसी ऐसी सुविधा से है, जहाँ पर केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु निर्मित नियमों के अनुसार स्वस्थता-परीक्षण संचालित किया जा सके। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0- जी0एस0आर0- 652ई, दिनांक 23.09.2021 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन करते हुए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन व नियन्त्रण हेतु नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो दिनांक 25.09.2021 से प्रभावी है।

2. स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना, विनियमन व नियंत्रण हेतु यद्यपि भारत सरकार द्वारा निर्गत नियमावली में विस्तृत प्राविधान किये गये हैं किन्तु कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टता नहीं है। फलस्वरूप प्रासंगिक आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त नियमावली के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(1) प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 2 लेन के स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किया जायेगा। वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत 2 लेन के स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु न्यूनतम दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। स्टेशन की अवसंरचना हेतु स्थल की उपयुक्तता का निर्णय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वार होंगे, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित ना हो। परिसर तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 07 मीटर होनी चाहिए। स्वचालित परीक्षण स्टेशन में प्रवेश व निकास के समय वाहन की प्रविष्टियां अंकित की जाएंगी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वाहन कितने समय तक केन्द्र में रही।

(3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में जनसामान्य हेतु निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रदर्शित की जायें :-

http://shivinaccess.up.gov.in

(i) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर/प्रबन्धक का नाम व फोन नम्बर।

(ii) सभी कार्मिकों के नाम/पदनाम।

(iii) स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन, टाइम स्लॉट बुकिंग एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया।

(iv) परीक्षण रिपोर्ट निर्गमन प्रक्रिया।

(v) परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण।

(vi) परीक्षणों की सूची।

(vii) पुनः परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी।

(viii) परीक्षण रिपोर्ट के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया एवं अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं फोन नम्बर।

(ix) स्वचालित परीक्षण स्टेशन का पूरा ले-आउट। (पार्किंग/वेटिंग रूम/ विजुअल एवं आटोमेटिक टेस्टिंग का स्थान/शौचालय/पीने का पानी/प्रवेश व निकास द्वार आदि)

(4) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर सी0सी0टी0वी0 द्वारा लाइव कवरेज की व्यवस्था होगी तथा एक माह की रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहनों की जांच प्रक्रिया देखने हेतु परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर द्वारा सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को लिंक उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में फायर फाइटिंग मशीन भी रखी जाये जिसके सुचारू रूप से कार्य करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(6) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में शिकायत पेटी भी होगी।

(7) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क एवं प्रमाण-पत्र निर्गत करने का शुल्क वाहन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशन एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। परीक्षण स्टेशन को प्राप्त होने वाले शुल्क पर देय जी0एस0टी0 वाहन स्वामी से परीक्षण स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

(8) स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत Net worth सर्टिफिकेट चार्टर्ड् अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित होगा तथा UDIN (Unique Document Identification Number) से युक्त होगा।

(9) स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति या फर्म/संस्था के प्रबन्ध निदेशक (MD)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी(CEO)/समस्त पार्टनर्स इस आशय का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें पिछले तीन वित्तीय वर्ष में किसी राज्य सरकार द्वारा अपात्र/प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(10) स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदक (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को छोड़कर) द्वारा प्रारूप-"एटीएस प्रारूप-1" पर स्वघोषित चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जो नोटरी द्वारा सत्यापित भी होगा।

परन्तु, ऐसी कम्पनियां जिनके प्रबन्धक/निदेशक विदेशी नागरिक हैं, उन्हें चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(11) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 में विहित व्यवस्था के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु परीक्षण स्टेशन का स्वामी व आपरेटर दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपरेटर के आवेदन करने की दशा में, परीक्षण स्टेशन के स्वामी द्वारा निर्गत अधिकार पत्र आपरेटर द्वारा रू0 100 के मूल्य के नोटराइज्ड शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक ऑपरेटर को भारत सरकार द्वारा ऑपरेटर के लिए निर्धारित अर्हता को पूर्ण करना होगा। कोई भी ऑपरेटर किसी भी दशा में वर्तमान में संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में स्थापित कुल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों में से 02 से अधिक स्टेशन के संचालन हेतु अर्ह नहीं होगा।

(12) प्रथम चरण में प्रारम्भिक तौर पर प्रत्येक जनपद में (लखनऊ, कानपुर एवं आगरा को छोड़कर) एक-एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना की जायेगी। किन्तु भविष्य में आवश्यकता के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन की संख्या में वृद्धि का विकल्प भी खुला रहेगा।

(13) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर प्रस्ताव ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रयोजनार्थ प्रस्ताव फीस तथा ई0एम0डी0 क्रमशः रू0 1,000/-(नॉन रिफंडेबिल) तथा रू0 5,000/-(रिफंडेबिल) होगी। किसी जनपद में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उनका चयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

13.1 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ वित्तीय अर्हता प्रस्ताव "एटीएस प्रारूप-2" में प्रस्तुत किया जायेगा।

13.2 वित्तीय अर्हता से तात्पर्य फिटनेस परीक्षण शुल्क/प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क से प्राप्त वार्षिक राजस्व के अंश शेयर से है।

(14) वित्तीय अर्हता में प्राप्त अंक के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला आवेदक "एच 1" तथा तत्पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर "एच 2" का निर्धारण किया जायेगा।

ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से चयनित आवेदक प्रारम्भिक पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिए परिवहन आयुक्त के समक्ष नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम (एन0एस0डब्ल्यू0एस0) पोर्टल पर केन्द्रीय मोटर यान नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(15) "एच 1" आवेदक को चयन के सम्बन्ध में "लेटर ऑफ इन्टेन्ट" निर्गत किये जाने के बाद चयनित आवेदक द्वारा 15 दिन के अन्दर एन0एस0डब्ल्यू0एस0 पोर्टल पर आवेदन न करने पर अवसर समाप्त करते हुए "एच 2" आवेदक को "लेटर ऑफ इन्टेन्ट" इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जायेगा कि यदि "एच 2" द्वारा वित्तीय अर्हता प्रस्ताव में कोट किये गये परिवहन विभाग के अंश का प्रतिशत "एच 1" द्वारा कोट किये गये प्रतिशत से कम है तो उसे "एच 1" आवेदक के द्वारा कोट किये गये अंश के प्रतिशत के बराबर परिवहन विभाग को राजस्व अंश के भुगतान की सहमति देनी होगी। "एच 2" द्वारा सहमति प्रदान करने के पश्चात उन्हें भी 15 दिन के अन्दर एन0एस0डब्ल्यू0एस0 पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(16) चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह की अवधि तक स्टेशन निर्माण के सन्दर्भ में कार्य प्रारम्भ न किये जाने की स्थिति में रू0 5000/- प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी। 03 माह तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने की स्थिति में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का विस्तार अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर उनके विवेक या निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा।

(17) चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना पूर्ण करके प्री-कमिशनिंग ऑडिट एवं असेसमेन्ट का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जायेगा। ऐसा न होने की स्थिति में रू0 10,000/- प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी। इस माइलस्टोन की प्राप्ति में 03 माह से अधिक अवधि का विलम्ब होने की स्थिति में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का विस्तार अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर उनके विवेक या निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा।

(18) किसी भी आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश में संचालित स्टेशन को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 02 स्वचालित परीक्षण स्टेशन ही आवंटित किये जायेंगे। किन्तु यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार पर प्रभावी नहीं होगा। यदि कोई आवेदक 02 से अधिक परीक्षण स्टेशन हेतु अर्ह घोषित होता है, तो उसे सर्वाधिक परिवहन यान वाले जनपदों में स्थापित 02 स्टेशन आवंटित किये जायेंगे। 01 ए0टी0एस0 की स्थापना हेतु आवेदक की नेटवर्थ 3 करोड़ रूपये तथा 02 ए0टी0एस0 की स्थापना की दशा में आवेदक की नेटवर्थ 7 करोड़ रूपये होगी।

(19) चयनित आवेदकों द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन के संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्राप्त सकल राजस्व आय संचालनकर्ता की होगी। इस 2 वर्ष की अवधि में परिवहन विभाग का कोई अंश देय नहीं होगा।2 वर्ष के पश्चात परीक्षण शुल्क एवं प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में से चयनित आवेदक द्वारा ए0टी0एस0 प्रारूप-2 में कोट किये अंश के अनुसार धनराशि राज्य सरकार को देय होगी।

प्रदेश में पूर्व से संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा भी संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 2 वर्ष पश्चात निकटवर्ती जनपद जहाँ वाहनों की संख्या सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जनपद के बराबर होगी, द्वारा ए0टी0एस0 प्रारूप-2 में कोट किये गये धनराशि के बराबर राजस्व अंश राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

(20) शासकीय वाहनों पर कोई स्वस्थता परीक्षण शुल्क एवं प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क देय नहीं होगा।

(21) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के समस्त प्राविधान के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं एवं प्रशासकीय आदेशों के प्राविधान लागू होंगे।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उक्तानुसार लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

उक्त की प्रति सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

"ATS" Format -1

Character Certificate

(Exempted for Public Limited Company)

I/we certify on oath that there is no criminal case pending in any Court of Law against me or any of the Directors/Proprietor/Partner of the company.

I/we further certify that I/we Directors/Proprietor/Partner of my company have not been convicted of any offence in any Court in India in the last ten (10) years. I understand that I am fully responsible for the contents of this undertaking, and its truthfulness. In case of any information emerging disproving any of the contents of this undertaking, my registration will be liable to be cancelled fourthwith without any further correspondence and procedure.

Solemnly affirmed by me on…… (date)at ……(place).

Signed by

Name of the Applicant /Company/Firm/institution/Trust-

Signature-

Designation-

Seal-

Date-

(To be attested by Public Notary)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

एटीएस प्रारूप -2

(आवेदन के साथ संलग्न)

कमर्शियल अर्हता हेतु प्रस्ताव

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
टेढ़ी कोठी,
लखनऊ।

महोदय,

स्वचालित परीक्षण स्टेशन (जनपद का नाम.....) हेतु आपके द्वारा आमंत्रित आवेदन संख्या-..... दिनांक ..... के क्रम में वित्तीय अर्हता हेतु प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत हैः-

विवरण	प्रतिमाह कुल राजस्व प्राप्ति में से परिवहन विभाग को देय अंश की राशि (प्रतिशत में)
1	2
प्रतिमाह कुल राजस्व प्राप्ति में से परिवहन विभाग को देय अंश की राशि (प्रतिशत में)	

स्पष्टीकरण: फिटनेस परीक्षण शुल्क/प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क से प्रतिमाह प्राप्त होने वाले राजस्व, जो कॉलम-2 में कोट किया जायेगा, वही धनराशि देय होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।